न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 22/2019/दावा/बउनवान/रिदीक (नाबा) सरिता बनाम बाल किशन वगै
जीसीएमएस संख्या 2019/00060

1. रिदित (नाबा) पुत्र मनोज जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) जरिये वली माता स्वयं सरिता बाई पत्नि मनोज जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादी

बनाम

1. बालकिशन पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. मोहनलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53 आर.टी.एक्ट

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 01.03.2019 **निर्णय दिनांक : 10.03.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादी ग्राम कूण्डला तहसील मांगरोल का स्थायी निवासी है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 का परपौत्र है जो अपनी माता के सरपरस्त में ग्राम कुण्डला में निवास करता है।
2. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 55 खसरा नं0. 66 रकबा 2.66 हे0, खसरा नं0. 88 रकबा 2.73 हे0, खसरा नं0. 298 रकबा 0.42 हे0, कुल किता 3 रकबा 5.81 हे0, वाके ग्राम कुशिया तहसील मांगरोल में स्थित है।
3. यह कि इसी प्रकार खाता संख्या 42 खसरा नं0. 12 रकबा 0.80 हे0, वाके ग्राम कुण्डला तहसील मांगरोल में स्थित है जो प्रतिवादी क्रम 1 व शकुन्तला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
4. यह कि खाता संख्या 40 खसरा नं0. 110 रकबा 0.48 हे0, वाके ग्राम कुण्डला तहसील मांगरोल में स्थित है जो प्रतिवादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
5. यह कि इसी प्रकार खाता संख्या 60 खसरा नं0. 327 रकबा 3.37 हे0, वाके ग्राम कुशिया तहसील मांगरोल में स्थित है, जो प्रतिवादी क्रम 1 के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है।
6. यह कि मद नं0. 2 ता 5 में दर्ज रिकार्ड भूमिया वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 की पैतृक व पुश्तैनी आराजीयात है जिसे वाद में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित की गई है।
7. यह कि भैरुलाल जी के 2 लडके प्रतिवादी क्रम 1 व 2 है तथा उनके शकुन्तला नाम की कोई लडकी नहीं है इस प्रकार मृतक भैरुलाल जी के कोई जाइन्दा पुत्री नहीं है और वैसे भी मीणा जाति जो अनुसूचित जनजाति है जिस पर हिन्दू उत्तराधिकार नियम लागू नहीं है इस प्रकार मीणा समाज में पुत्रियों का सम्पत्ति में कोई विधिक अधिकार नहीं होता इसलिए खाता संख्या 42 खसरा नं0. 12 रकबा 0.80 हे0, वाके ग्राम कूण्डला

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

Scanned by CamScanner

में दर्ज शकुन्तला का नाम बिना जांच पड़ताल किये दर्ज किया है इसलिए खाते से शकुन्तला का नाम डिलीट किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसका वादी कानूनन अधिकारी व नालिसी हैं।

8. यह कि ग्राम कुशिया तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 55 की किता 3 रकबा 5.81 हे0, जो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के बराबर–बराबर हिस्से में दर्ज रिकार्ड है जिसका प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने पारिवारिक विभाजन कर रखा है जिसमें से प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में 2.73 हे0, भूमि आती है तथा प्रतिवादी क्रम 2 खसरा नं0. 66 रकबा 2.66 हे0, व खसरा नं0. 298 रकबा 0.42 हे0, भूमि काश्त करता है इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 व 2 आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से की आराजी को काश्त करते आ रहे हैं।
9. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी जो आपसी सहमति से प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में आयी है जिसके खसरा नं0. 88 रकबा 2.73 हे0, जिस पर वादी जरिये माता काश्त करता आ रहा है तथा उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने परपोत्र पर अपार स्नेह होने के कारण वादी को उसके पैतृक हक अनुसार दे रखी है क्योंकि प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पुत्र पर भरोसाा नहीं है क्योंकि वह आराजी को बेचान करने की धमकी दे रहे हैं इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उसके हक अधिकार की आराजी पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाये जिसका वादी कानूनन अधिकारी व नालिसी है।
10. यह कि इसी प्रकार आराजी खाता संख्या 40 खसरा नं0. 110 रकबा 0.48 हे0, वाके ग्राम कुण्डला व खाता संख्या 56 खसरा नं0. 88 रकबा 2.79 हे0, व खसरा नं0. 12 रकबा 0.80 हे0, जिस पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे क्योंकि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का खाता संख्या 55 में हिस्सा 1/2 निहित है।
11. यह कि प्रतिवादी क्रम 4 को भू–धारक होने से वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा राज्य सरकार के विधिक प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारां को कानूनी नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. का जरिये अधिवक्ता प्रेषित किया जा चुका है किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वाद प्रार्थना–पत्र धारा 80 (2) सी.पी.सी. के साथ पेश किया जा रहा है।
12. यह कि वाद कारण दिनांक 20.02.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी को रहन बेचान करने की धमकी देने के कारण ग्राम कूण्डला तहसील मांगरोल में उत्पन्न हुआ है।
13. यह कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कूण्डला व कुशिया तहसील मांगरोल में स्थित होने से वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
14. यह कि वाद का मूल्यांकन लगान का 50 गुणा कायम किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री जारी की जावे :–

(अ) कि आराजी खाता संख्या 42 खसरा नं0. 12 रकबा 0.80 हे0, वाके ग्राम कूण्डला तहसील मांगरोल में से शकुन्तला का अंकित नाम डिलीट किया जाकर एवं प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खाते से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। इसी प्रकार खाता संख्या 40 में खसरा 110 रकबा 0.48 से प्रति0 का 1 का नाम हटाया जाकर वादी से खातेदार घोषित किया जावे।

(ब) कि आराजी खाता संख्या 55 की आराजी खसरा नं0. 88 रकबा 2.73 हे0, ग्राम कुशिया तहसील मांगरोल पर से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

Scanned by CamScanner

(स) कि आराजी खाता संख्या 60 खसरा नं0. 327 रकबा 3.37 हे0, ग्राम कुशिया से प्रतिवादी क्रम 1 को नाम प्रति0 1 सम्पूर्ण आराजी का खातेदार कृषक वादी को रखा जावे।

(द) कि उपरोक्त आराजीयात को वादी के पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी क्रम 3 को दिये जावे।

(य) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवायी जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 05.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुउपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अधिवक्ता वादी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। उन्होंने बहस कर रिकार्ड के अनुसार दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की। दावे के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद में वादी, प्रतिवादी क्रम 1 का पौत्र है, परंतु वाद में वादी द्वारा सजरा खानदान प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि वादी का अपने दादा की पैतृक सम्पत्ति में कितना हक व हिस्सा निहित है इसलिए प्रकरण में यह निर्धारित किया जाना संभव नही है कि वादी का कितना हिस्सा बनाता है। इस प्रकार वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा पृथक से जारी है।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय बइजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 22/2019/दावा/बउनवान/रिदीक (नाबा) सरिता बनाम बाल किशन वगै

जीसीएमएस संख्या 2019/00060

निर्णय दिनांक :– 10.03.2025

बउनवान:–

1. रिदित (नाबा) पुत्र मनोज जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) जरिये वली माता स्वयं सरिता बाई पत्नि मनोज जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादी

बनाम

1. बालकिशन पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. मोहनलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53 आर.टी.एक्ट

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन

वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.03.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकी जारी की जाती है कि वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

अंजना सहरावत(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

Scanned by CamScanner